

न्यायालय—द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
॥ पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ॥

व्यवहार वाद क्र० 01बी / 2014

संस्था० दिनांक 01.04.2011

फाईलिंग नंबर—230303000202011

1. अनिल कुमार पहाड़िया पुत्र बाबूलाल पहाड़िया
 आयु 41 साल जाति वैश्य धंधा व्यापार निवासी
 गल्ला मण्डी तिराहा गोहद चौराहा रोड गोहद
 जिला भिण्ड म० प्र०

.....वादीगण
(Plaintiff)

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह आयु 41 साल
 धंधा खेती निवासी ग्राम कनीपुरा पोस्ट चंदोखर
 तहसील गोहद जिला भिण्ड म० प्र०

.....प्रतिवादीगण
(Defendent)

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि० ।

प्रतिवादी द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव अधि० ।

—::— नि र्ण य —::—

(आज दिनांक 12 मई 2015 को घोषित किया गया)

1. वादी की ओर से यह वाद प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह के विरुद्ध मूल धनराशि 324500/—रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) मय ब्याज 58410/—रुपये (अट्ठावन हजार पांच सौ दस रुपये) कुल 382910/—रुपये (तीन लाख ब्यासी हजार नौ सौ दस रुपये) की वसूली बाबत प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी पंजीकृत साहूकार है तथा प्रतिवादी कृषक है तथा यह भी निर्विवादित है कि वादी गल्ला मण्डी तिराहा गोहद में निवासरत होकर व्यवसाय करता है। साक्षी सुभाष पहाड़िया उसका चचेरा भाई है। तथा प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह ग्राम कनीपुरा का निवासी है।
3. उक्त स्वीकृत तथ्य के अलावा वादी ने यह वाद उक्त अनुतोष हेतु यह अभिवचनित करते हुए प्रस्तुत किया है कि वादी वार्ड नंबर—16 परगना गोहद जिला भिण्ड का निवासी है और वार्ड नंबर—16 में स्थित अपने प्रतिष्ठान एवं मकान से अपना व्यापार और व्यवसाय करता है। प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह जो कि ग्राम कनीपुरा पोस्ट चंदोखर तहसील गोहद का रहने वाला है, ने वादी से अपनी निजी आवश्यकता के लिये वादी के निवास स्थान गल्ला मण्डी तिराहा गोहद पर 324500/—रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) दिनांक 24.08.08 को दो रुपये प्रतिसैंकडा प्रतिमाह की दर से लिये और उसकी लिखापढी बाबत लिखतम पर स्वयं अपने हस्ताक्षर करके प्रतिवादी ने वादी को यथासमय दिनांक 24.08.08 को दी। उक्त लिखापढी के समय सुभाष पहाड़िया भी मौजूद थे जिनके समक्ष लिखापढी निष्पादित की गई। उक्त राशि का भुगतान प्रतिवादी द्वारा वादी की मांग करने पर दिये जाने का था। और उक्त

लिखतम एक वर्ष के लिये निष्पादित की गई थी। तथा एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद वादी की मांग के अनुसार प्रतिवादी को भुगतान करना था। वादी द्वारा उक्त रकम की मांग प्रतिवादी से एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद की गई किन्तु प्रतिवादी द्वारा भुगतान करने में टालमटूल की गई। और यह टालमटूल वादी की मांग के उपरान्त भी की गई। तथा प्रतिवादी ने उक्त राशि भुगतान नहीं किया।

4. इसके बाद वादी ने दिनांक 13.03.10 को एक लिखित नोटिस जरिये रजिस्ट्री डांक दिया किन्तु नोटिस के बावजूद भी वादी ने आज तक कोई भुगतान नहीं किया है। तब वादी को यह दावा पेश करना पड़ा। वादी के प्रतिवादी पर असल 324500/-रुपये(तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) और उस पर बाजारू चलन के हिसाब से ब्याज बारह प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से लिखतम निष्पादित होने के दिनांक से नोटिस देने के दिनांक तक 58410/-रुपये(अट्ठावन हजार पांच सौ दस रुपये) होता है। इस प्रकार वादी के प्रतिवादी पर कुल वसूली योग्य धनराशि 382910/-रुपये (तीन लाख ब्यासी हजार नौ सौ दस रुपये) वसूली योग्य होते हैं। वाद कारण कर्जा लेने के दिनांक 24.08.08 तथा उसके बाद वादी द्वारा निरंतर मांग करने और नोटिस देने के दिनांक 13.03.10 से पैदा हुआ है जिस पर निर्धारित न्यायशुल्क 45960/-रुपये होता है। जो मालियत के आधार पर न्यायालय की वित्तीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आता है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादी वादी को 382910/-रुपये(तीन लाख ब्यासी हजार नौ सौ दस रुपये) का भुगतान करे और भुगतान न करने की दशा में प्रतिवादी की चल व अचल संपत्ति या व्यक्तिगत रूप से वसूली वादी को कराई जावे एवं नोटिस देने के बाद से एवं दावा प्रस्तुति दिनांक से कुल धनराशि वसूली होने तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से भी दिलाई जावे। एवं वाद व्यय भी प्रतिवादी से दिलाया जावे।

5. प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह की ओर से वादी के वाद का विरोध करते हुए अपने जवाब दावा में वाद पत्र क्रमांक-1, व 2 को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि प्रतिवादी कनीपुरा ग्राम का रहने वाला है और किसान है। कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरणपोषण करता है। अतः प्रतिवादी गांव में रहता है इसलिये गोहद में वादी का निवास कहाँ है उसे कोई जानकारी नहीं है। वादी से प्रतिवादी ने कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया न ही कभी लिखापढी की है। वादी ने लिखतम दावा के साथ पेश की है वह वादी द्वारा ही फर्जी तैयार की गई है जिस पर प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं। वादी ने किसी भी लिखतम पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्योंकि वादी ने प्रतिवादी ने कोई राशि उधार नहीं ली है। जब राशि ही उधार नहीं ली है तो अदा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तथा वह सुभाष पहाड़िया को भी नहीं पहचानता है जो वादी ने अपने मेल के आदमी का नाम जान-बूझकर लिखाया है। तथा वादी से प्रतिवादी ने कोई भी रुपये उधार नहीं लिये हैं। फर्जी दस्तावेज काल्पनिक आधारों पर तैयार किया गया है। वादी ने प्रतिवादी से आज तक कभी भी कोई रुपये की मांग नहीं की तथा प्रतिवादी को कोई लिखित नोटिस भी नहीं दिया गया है। डांक के द्वारा भेजा गया नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुआ है। वादी ने प्रतिवादी से कोई रुपये उधार नहीं लिये इसलिये ब्याज देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तथा वादी पर प्रतिवादी के कोई रुपये नहीं निकलते हैं।

6. प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में यह भी व्यक्त किया है कि प्रतिवादी किसान है इसलिये वादी प्रतिवादी को कोई भी ऋण नहीं दे सकता है और यदि ऋण दिया जाता है तो साहूकारी विधान के अनुसार जो ऋण दिया गया है उसकी पावती प्रतिवादी को दी जावेगी तथा वादी एक रजिस्टर तैयार करेगा जिसमें ऋण राशि का

ब्यौरा दिया जावेगा जिसकी एक साल में ब्याज आदि की गणना करके प्रतिवादी को रसीद सहित सूचना दी जावेगी जिसकी प्रति पंजीयक को भेजी जावेगी। चूंकि प्रतिवादी ने कोई ऋण ही नहीं लिया है इसलिये वादी ने न तो कोई रसीद दी है न ही पंजीयक को कोई सूचना दी है। प्रतिवादी ने साहूकारी विधान का उल्लंघन कर प्रतिवादी के विरुद्ध छल कपट बेईमानी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह दावा पेश किया है। वादी ने प्रतिवादी से 24.08.08 को कोई भी मांग नहीं की है न ही नोटिस दिया गया है। तथा वादी ने गलत दावा पेश किया है जो कम न्याय शुल्क अदा करके पेश किया गया है।

7. अतिरिक्त आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी किसान है इसलिये साहूकारी विधान के अनुसार वादी प्रतिवादी को ऋण नहीं दे सकता है और वादी ने साहूकारी विधान का कतई पालन नहीं किया है इसलिये प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दि० 27.03.2014 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये गये जिनके सम्मुख विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

- (1) क्या वादी से प्रतिवादी ने ऋण के रूप में 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) प्राप्त कर दिनांक 24.08.08 को प्राप्ति बाबत लिखतम निष्पादित किया गया?
- (2) क्या वादी प्रतिवादी से 382910/-रुपये (तीन लाख ब्यासी हजार नौ सौ दस रुपये) वसूली का अधिकारी है?
- (3) क्या वादी उक्त राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हाँ तो किस दर से—
- (4) सहायता एवं वाद व्यय?

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

:: वाद प्रश्न क्रमांक—1 ::

9. वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में वादी अनिल कुमार पहाड़िया वा०सा०—1 तथा सुभाष पहाड़िया वा०सा०—2 का परीक्षण कराया गया है तथा प्र०पी०—1 लगायत 6 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं जबकि प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह स्वयं का कथन प्र०सा०—1 के रूप में कराया है तथा कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया है।

10. उक्त वाद प्रश्न मूल समव्यवहार पर आधारित है जिसका प्रमाण भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य पेश की है उसमें स्वयं वादी अनिलकुमार पहाड़िया वा०सा०—1 ने यह बताया है कि वह वार्ड नंबर—16 गोहद में निवासरत होकर अपने घर से ही अपने प्रतिष्ठान का व्यवसाय और व्यापार करता है। प्रतिवादी ग्राम कनीपुरा का रहने वाला है जिसने अपनी निजी आवश्यकता के लिये

उससे उसके निवास स्थान गल्ला मण्डी तिराहा गोहद पर आकर दिनांक 24.08.08 को 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) दो रुपये प्रतिसेंकडा प्रतिमाह की दर से नगद प्राप्त किये थे और उसकी लिखतम प्र0पी0-3 हस्ताक्षर करके उसे दी थी। उस समय सुभाष पहाड़िया भी मौजूद थे जिसकी उपस्थिति में दस्तावेज का निष्पादन हुआ था और यह तय हुआ था कि उक्त राशि का भुगतान प्रतिवादी के द्वारा मांग अनुसार किये जाने पर किया जायेगा। लिखतम एक वर्ष के लिये निष्पादित की गई थी। एकवर्ष उपरांत जब उसने प्रतिवादी द्वारा भुगतान न किये जाने पर मांग की तो प्रतिवादी टालमटूल करता रहा और भुगतान नहीं किया। तब दिनांक 13.03.10 को उसने जरिये रजिस्टर्ड डांक मांग सूचना पत्र प्रेषित किया। उसके उपरान्त भी भुगतान न करने पर वसूली का वाद प्रस्तुत किया है। वादी की उक्त आशय की अभिसाक्ष्य का समर्थन सुभाष पहाड़िया वा0सा0-2 के द्वारा भी शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में किया है।

11. वा0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-8 में इस बात से इन्कार किया है कि उसने प्रतिवादी को दिनांक 24.08.08 को कोई रुपये नहीं दिये। प्र0पी0-3 के दस्तावेज में दो गवाह नहीं बनाये जाने का कारण उसने दस्तावेज में कोई कॉलम न होना बताते हुए यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी है कि प्र0पी0-3 पर दो गवाह होने चाहिए। इस बात से इन्कार किया है कि प्र0पी0-3 अभिवचन की श्रेणी में नहीं आता है। इस बात से भी इन्कार किया है कि प्र0पी0-3 पर रुपये प्राप्ति की भरपाई नहीं है। पैरा-9 में उसने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी किसान होकर खेती करता है। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि प्रतिवादी की साल में जो फसल आती थी वह उसके यहाँ जमा रहती थी। इस बात से भी इन्कार किया है कि वह प्रतिवादी के घर से ही उसकी फसल भरकर ले जाता था बल्कि यह कहा है कि प्रतिवादी उससे खेती के कार्य हेतु रुपये ले जाता था। इस बात से भी इन्कार किया है कि प्रतिवादी की जब इच्छा होती थी तब फसल बेची जाती थी। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि प्रतिवादी की फसल उसने अपने मन से बेच दी और प्रतिवादी को कोई पैसा नहीं दिया और झूठा केस लगा दिया। यह स्वीकार किया है कि सुभाष पहाड़िया उसका चचेरा भाई है। चचेरे भाई होने की स्वीकारोक्ति वा0सा0-2 सुभाष पहाड़िया ने पैरा-4 में भी की है। किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि चचेरा भाई होने के कारण ही वह वादी के पक्ष में झूठी गवाही दे रहा है और इस बात से भी इन्कार किया है कि प्र0पी0-3 पर प्रतिवादी राजेन्द्र के झूठे हस्ताक्षर बनाये गये हैं। बल्कि उसने स्वतः में यह कहा है कि उसके सामने राजेन्द्रसिंह ने उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। वा0सा0-1 ने भी पैरा-7 में इस बात से इन्कार किया है कि प्र0पी0-3 के ए से ए भाग पर राजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर न होकर फर्जी हस्ताक्षर बना लिये गये हैं।

12. इस संबंध में प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह प्र0सा0-1 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि वह सीधा-सादा गरीब किसान है। कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरणपोषण करता है। उसे वादी के निवास की कोई जानकारी नहीं है और उसने कभी भी वादी से कोई व्यवहार नहीं किया है न कोई लिखापढी की है। वादी ने जो दावे के साथ लिखतम पेश की है वह पूर्णतः फर्जी है और उस पर उसने कभी कोई हस्ताक्षर नहीं किये न उसने कभी वादी से रुपये उधार लिये। वादी ने काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अपने मेल के व्यक्तियों से मिलकर झूठा एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर दावा कर दिया है। उससे न कभी रुपयों की मांग की न ही कोई नोटिस दिया और उस पर वादी के 584010/- (पांच लाख चौरासी हजार दस रुपये) निकलते हैं क्योंकि उसने कोई राशि उधार नहीं ली है। तथा उसे साहूकारी विधान के

अनुसार दावे में या सूचना नहीं दी गई।

13. प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह प्र०सा०-1 ने पैरा-5 में यह स्वीकार किया है कि उस पर 25 बीघा जमीन है और गैहूँ की फसल करता है। एक दो लाख रुपये की फसल हो जाती है। खाद बीज की व्यवस्था वह सोसायटी से करता है। सिंचाई, डीजल, मजदूरी की व्यवस्था वह उसके भाई से करता है जो दूध का धंधा करता है। अनिल पहाड़िया को वह नहीं जानता है। अनिल पहाड़िया ने उसके विरुद्ध झूठा दावा किया है। इस बात से इन्कार किया है कि विचारण के दौरान उसने राजीनामा की चर्चा की थी और किस्तों की सुविधा मौखिक रूप से चाही थी। प्र०पी०-3 पर उसने अपने हस्ताक्षरों से इन्कार करते हुए कोई नोटिस मिलने से भी इन्कार किया। यह स्वीकार किया है कि उसने प्र०पी०-3 पर फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में पुलिस या वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की। इस बात से इन्कार किया है कि उसने दिनांक 24.08.08 को वादी के निवास स्थान गल्ला मण्डी तिराहा पर आकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) दो रुपये प्रतिमाह प्रतिसैंकडा ब्याज की दर से उधार लिये थे और उसकी लिखापट्टी की थी। तब सुभाष पहाड़िया मौजूद था जो एक साल के लिये थी। एक साल बाद भी राशि मय ब्याज के वापिस नहीं की और रुपये अदा न करना पड़ें इसलिये वह हस्ताक्षरों को फर्जी बता रहा है। अंत में यह कहा है कि उसने वादी को कभी भी फसल नहीं दी है।

14. इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में प्र०पी०-3 मूल समव्यवहार का दस्तावेज वचन पत्र (promissory note) बताते हुए यह कहा है कि वह वादी ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। और प्र०पी०-3 की शब्दावली से भी वह promissory note है जिसके लिये गवाहों की आवश्यकता नहीं है। गवाहों की आवश्यकता वचन पत्र (Bond) के लिये होती है। उन्होंने स्टाम्प अधिनियम एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम के संबंधित प्रावधानों पर भी प्रकाश डालते हुए वाद डिक्री किये जाने और वाद प्रश्न प्रमाणित होने का तर्क किया है। यह भी बताया है कि प्र०पी०-3 पर प्रतिवादी अपने फर्जी हस्ताक्षर बताता है इसलिये प्रमाण भार उसी पर है जिसने उसे पूर्ण नहीं किया है तथा उसके हस्ताक्षरों का जवाबदावा, मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र, आदेश पत्रिका, वकालतनामा आदि से धारा-73 साक्ष्य विधान के तहत तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और उक्त वाद प्रश्न पूर्णतः प्रमाणित है। तथा वादी ऋण स्वरूप दी गई राशि मय ब्याज वसूलने का अधिकारी है।

15. इस संबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने तर्कों में प्रारंभिक आपत्ति लेते हुए यह व्यक्त किया है कि प्र०पी०-3 का दस्तावेज वचन पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि उसके लिये जिन शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है, उनका पालन नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी दस्तावेज एक 'वचन पत्र' हो इसके लिये आवश्यक है उसमें,

- अ- संदाय का अशर्त वचन बंध होना चाहिए'
- ब- राशि एक धनराशि होनी चाहिए जो कि निश्चित हो'
- स- संदाय किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर या लिखत के वाहक को होना चाहिए, और
- द- लिखत के रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए

यदि यह चारों शर्तें कोई दस्तावेज पूरी करता है तो वह 'वचन पत्र' कहलाता है। तथा प्र०पी०-3 के रचयिता का कथन नहीं कराया गया है। न ही प्र०पी०-3 पर रचयिता के हस्ताक्षर हैं जो कि आवश्यक है। प्र०पी०-3 ग्वालियर में निष्पादित होने का उल्लेख है इसलिये गोहद के न्यायालय में क्षेत्राधिकार भी नहीं आता

है और प्रमाण भार वादी पर है। वादी प्र0पी0-3 को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल है इसलिये समव्यवहार ही प्रमाणित नहीं है। और वादी किसी भी धनराशि की वसूली का अधिकारी नहीं है जिसके खण्डन में वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्र0पी0-3 छपे हुए फॉर्म पर है इस कारण उस पर ग्वालियर शब्द अंकित है। किन्तु अभिवचनों में स्पष्टतः समव्यवहार वादी के निवास स्थान पर बताया गया है जिसका स्पष्ट अभिवचन भी वाद पत्र में किया गया और उसका कोई खण्डन प्रतिवादी की ओर से जवाब दावे में नहीं है। न ही इस संबंध में कोई वाद प्रश्न निर्मित है इसलिये तकनीकी रूप से निष्कर्ष न निकाला जावे।

16. प्रकरण में मूल वाद आधारित दस्तावेज प्र0पी0-3 की लिखतम है जिसके मुताबिक दिनांक 24.08.08 का समव्यवहार बताया गया है। सर्वप्रथम प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार करने की आवश्यकता है कि प्र0पी0-3 के दस्तावेज की प्रकृति क्या है क्योंकि उससे ही विषयवस्तु की स्थिति स्पष्ट होगी। प्र0पी0-3 में जहाँ तक ग्वालियर शब्द अंकित होने का प्रश्न है, यह सही है कि प्र0पी0-3 छपा हुआ प्रोफार्मा है जिस पर दावाकृत समव्यवहार की राशि ब्याज की दर तथा भुगतान हेतु तय समयावधि, भुगतान की प्रकृति, पक्षकारों के नाम पते आदि का विवरण है। वादी अधिवक्ता का यह कहना है कि ग्वालियर शब्द छपे हुए प्रोफार्मा होने से अंकित है क्योंकि गोहद में इस तरह के प्रोफार्मा नहीं छापे जाते हैं। अभिवचनों में वाद पत्र के समव्यवहार, वादी के निवास स्थान अर्थात् गल्ला मण्डी तिराहा गोहद पर होना बताया गया है। जैसा कि वाद पत्र की कण्डिका-2 में अंकित है और प्रतिवादी की ओर से समव्यवहार को पूर्णतः फर्जी बताया गया है। स्थान के संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है न ही इस संबंध में कोई वाद प्रश्न स्थानीय क्षेत्राधिकारिता बाबत निर्मित है। ऐसे में प्र0पी0-3 के छपे हुए प्रोफार्मा को देखते हुए समव्यवहार गोहद का ही परिलक्षित होता है।

17. किसी भी दस्तावेज के संबंध में ग्राह्यता के बिन्दु पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक है कि दस्तावेज की शब्दावली क्या है क्योंकि प्रत्येक दस्तावेज के निबंधनों से ही उसकी प्रकृति और आशय एकत्र किये जाने चाहिए जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **रमाकांत दुबे विरुद्ध सुरेशचन्द्र दुबे 1990 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 भाग-2 एस0एन0-182** में प्रतिपादित किया गया है। इसलिये प्र0पी0-3 की शब्दावली पर विचार करना होगा।

18. प्र0पी0-3 की शब्दावली में भुगतान की तारीख 24.08.08 अंकित है। भुगतान की प्रकृति में नगदी का उल्लेख है। निश्चित राशि 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र रघुवर सिंह कनीपुरा के द्वारा अनिल कुमार पहाडिया से प्राप्त करना और मांग पर अथवा जिसे वह दिलावे। उसे प्राप्त धन के बदले में उक्त रकम पर ब्याज दर दो रुपये प्रति मासिक से 365 दिन बाद देय होना अंकित किया गया है। अवधि 24.08.08 से 24.08.09 तक अंकित है। दोनों पक्षों अर्थात् वादी व प्रतिवादी के नाम पते हैं प्रतिवादी के हस्ताक्षर बताये गये हैं जिसका अभी विश्लेषण होना है। इस तरह से जो शब्दावली प्र0पी0-3 में है उसमें वायदा किया और मांग पर या अवधि पूर्ण होने पर मय खर्च राशि की अदायगी की शर्त है।

19. promissory note (वचन पत्र) को उक्त अधिनियम की धारा-2 (22) में परिभाषित किया है जिसके मुताबिक- 'वचन पत्र' से परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 द्वारा यथापरिभाषित वचन पत्र अभिप्रेत है इसके अंतर्गत ऐसा पत्र है जिसमें यह वचन दिया गया है कि कोई धनराशि किसी विशिष्ट निधि में से, जो उपलब्ध हो या न हो, ऐसी शर्त पर जिसका पालन किया जा सके, या न किया जा सके या ऐसी अनिश्चित घटना पर, जो घटित हो या न हो, दी जावेगी।

20. इस प्रकार से बंध पत्र के लिये धन देने के लिये कोई विनिर्दिष्ट कार्य शर्त होना आवश्यक है और साक्षी से अनुप्रमाणित होना भी आवश्यक है जबकि वचन पत्र के लिये साक्षी के अनुप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। शब्दावली को देखते हुए प्र0पी0-2 का दस्तावेज जिस पर एक रूपये का रेव्हेन्यु टिकट चस्पा है, वह प्रोमेसरी नोट होना ही परिलक्षित होता है। वचन पत्र के अंतर्गत ऐसे पत्र हैं जिसमें यह अभिवचन दिया गया है कि कोई धनराशि किसी विशिष्ट निधि में से जो उपलब्ध है, या नहीं। ऐसी शर्त पर जिसका पालन किया जा सके या नहीं किया जा सके या ऐसी अनिश्चित घटना पर ही या न हो दी जावेगी। प्रश्न दस्तावेज भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा की अनुसूची एक (क) के क्रमांक-50 और वर्णित मुताबिक promissory note ही परिलक्षित होता है इसलिये उसे वचन पत्र माना जाता है, बंध पत्र नहीं है।

21. इस तरह से परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा-4 में वचन पत्र की परिभाषा है और टिप्पणी में जो चार शर्तें बताई गई हैं, उनकी प्र0पी0-3 की पूर्ति होती है क्योंकि उसमें वायदा किया गया है, निश्चित धनराशि है, संदाय करने का स्पष्ट विवरण है और प्र0पी0-3 पर जो राजेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हैं, वह उसके रचयिता के रूप में ही माने जावेंगे क्योंकि प्र0पी0-3 राजेन्द्रसिंह की ओर से निष्पादित दस्तावेज है इसलिये अनुप्रमाणक साक्षियों की आवश्यकता नहीं है जैसाकि उपर भी उल्लेख किया जा चुका है।

22. प्र0पी0-3 के संबंध में प्रतिवादी की ओर से उसकी प्रकृति बाबत वादी साक्ष्य के दौरान आपत्ति ली गई थी जिसे गुण-दोषों पर निर्णय के समय निराकृत किये जाने हेतु लंबित रखा गया है। प्र0पी0-3 की उपर वर्णित शब्दावली के आधार पर उसकी प्रकृति वचन पत्र promissory note की ही पाई जाती है।

23. Bond (बंध पत्र) को स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-2(5) को परिभाषित किया गया है जिसके मुताबिक (क) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन देने के लिये अपने को इस शर्त पर बाध्य करता है कि यदि विनिर्दिष्ट कार्य यथास्थिति किया गया या नहीं किया गया हो, वह बाध्यता शून्य हो जावेगी। (ख) कोई लिखत जो किसी साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित है और जो आदेशानुसार या वाहक को देय नहीं है और जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धनराशि देने के लिये अपने को बाध्य करता है और (ग) कोई लिखत जो इस प्रकार अनुप्रमाणित है और जिनके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनाज या अन्य कृषि उपज परिदत्त करने के लिये अपने को बाध्य करता है।

24. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **संतसिंह विरुद्ध मदनदास ए0आई0आर0 1976 एम0पी0 पेज-144 (पूर्ण पीठ)** के द्वारा वचन पत्र (promissory note) एवं बंध पत्र (bond) को परिभाषित करते हुए उसके अंतर को स्पष्ट किया गया है जैसा कि उपर भी उल्लेखित किया गया है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि प्र0पी0-3 की प्रकृति वचन पत्र (promissory note) की है।

25. प्रतिवादी द्वारा अभिवचनों में प्र0पी0-3 के दस्तावेज को कूटरचित होना बताया है और अभिवचनों में ऐसा प्रतिवादी का कहना नहीं रहा है कि वह वादी को जानता तक नहीं है। जैसा कि प्रतिवादी अपने पैरा-5 में साक्ष्य के दौरान बताता है। जबकि वादी के प्रतिपरीक्षण में वह वादी के यहाँ अपनी फसल जमा रहना, वादी द्वारा उसके घर से ही फसल भरकर ले जाना भी कहता है। उससे यही अर्थ निकलता है कि वादी प्रतिवादी समव्यवहार के पहले से एकदूसरे से अच्छी तरह से परिचित हैं और उनका समव्यवहार होता रहा है। तथा प्रतिवादी द्वारा पैरा-7 के अंत में यह कहना कि

उसने वादी को कभी कोई फसल नहीं दी, वा0सा0-1 के पैरा-9 के सुझाव से प्रतिकूल है। इससे भी प्रतिवादी का न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना प्रकट नहीं होता है। प्र0पी0-3 के संबंध में प्रतिवादी की मूल आपत्ति कूटरचित हस्ताक्षर की है। कूटरचित हस्ताक्षर की जानकारी प्रतिवादी को दावे की सूचना मिलने के बाद हो जाना परिलक्षित होता है। किन्तु वादोत्तर के अभिवचनों में प्र0पी0-3 के दस्तावेज को फर्जी और कूटरचित अवश्य कहा है। मौखिक साक्ष्य में भी कहा है किन्तु उसे प्रमाणित नहीं किया है।

26. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-102 इस संबंध में स्पष्ट उपबंध करता है जिसमें सबूत के आधार को परिभाषित किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का आधार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जावेगा। यदि दोनों में से किसी की ओर से भी कोई साक्ष्य नहीं दी जाये। और उक्त धारा के दृष्टांत ख में शोध्ध धन के वाद के संबंध में ही उदाहरण दिया गया है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **हरदयाल विरुद्ध आरामसिंह एवं अन्य 2001 भाग-1 एम0पी0जे0आर0 पेज-339** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि छल को सिद्ध करने का प्रमाण भार उस पक्ष पर होता है जो ऐसी अभियुक्ति लेता है। अर्थात् हस्तगत मामले में देखा जाये तो प्र0पी0-3 के कूटरचित एवं उस पर प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर होने का प्राख्यान प्रतिवादी द्वारा किया गया है। किन्तु उसे प्रमाणित करने में प्रतिवादी असफल है क्योंकि कूटरचित किस प्रकार से है इस बाबत न तो कोई स्पष्ट साक्ष्य है न ही कोई दस्तावेज है और न ही प्रतिवादी की कोई समर्थित साक्ष्य है।

27. हस्ताक्षरों के तुलनात्मक अध्ययन बाबत प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि वादी की ओर से अवश्य हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच कराने का आवेदन दिया गया था जो दिनांक 05.03.15 को निराकृत किया गया था। हस्ताक्षरों के तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-73 में प्रावधान किया गया है कि यह अर्थक निश्चित करने के लिये कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्यित है। किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति के द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिसे साबित किया जाना है, तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिये पेश या साबित न की गई हो।

28. प्रकरण में प्र0पी0-3 पर प्रतिवादी के ए से ए भाग के हस्ताक्षरों को आदेश पत्रिका दिनांक 24.07.14, 08.08.14, 09.04.15, 05.05.15 वादोत्तर का सत्यापन, वकालतनामा, न्यायालयीन कथन से नंगी आंखों से देखने पर मिलान होना प्रतीत होता है। ऐसे में प्र0पी0-3 प्रतिवादी द्वारा निष्पादित दस्तावेज होने को बल मिलता है।

29. इस तरह से उपरोक्त समग्र मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वादी तथा प्रतिवादी के मध्य दिनांक 24.08.08 को उधारी का समव्यवहार हुआ था और प्र0पी0-3 का दस्तावेज promissory note के रूप में प्रतिवादी द्वारा निष्पादित कर वादी को दिया गया था जिसके तहत उसने वादी से 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) नगद प्राप्त किये थे जो उसे निष्पादन के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात भुगतान करना थे जो प्रतिवादी द्वारा नहीं किये गये हैं। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत कर प्रमाणित पाया जाता है।

:: वाद प्रश्न क्रमांक-3 ::

30. इस वाद प्रश्न का प्रमाण भार भी वादी पर है। इस संबंध में वादी ने अपने अभिसाक्ष्य में व्यवसायी बताते हुए साहूकारी अधिनियम 1934 के तहत अनुज्ञप्तिधारी साहूकार होना बताया है। और उसके संबंध में प्र0पी0-4 लगायत 6 के साहूकारी के प्रमाण पत्र पेश किये हैं। अर्थात् वर्तमान में भी वादी पंजीकृत साहूकार है क्योंकि उक्त दस्तावेजों का कोई खण्डन नहीं है। वादी ने प्र0पी0-3 के आधार पर समव्यवहार दिनांक से दो रूपये प्रतिसैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज की दर की भी वसूली चाही है। इसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें वादी अनिलकुमार पहाड़िया वा0सा0-1 ने पैरा-7 में यह स्वीकार किया है कि उसने साहूकारी लायसेन्स का रजिस्टर बनाया है जो वह लेकर नहीं आया है न ही प्रकरण में पेश किया है और उसने प्रतिवादी को ब्याज एवं मूलधन के संबंध में नोटिस भेजा था। कई बार मौखिक तकादा भी किया, लिखित में इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया। उसने यह भी स्वीकार किया है कि नोटिस की सूचना कभी कभी संबंधित अधिकारी को भेजते हैं और कभी नहीं भेजते हैं और हस्ताक्षर की सूचना कभी पंजीयन अधिकारी को देते हैं और कभी नहीं देते हैं। हस्ताक्षर के संबंध में कोई रसीद प्रकरण में उसने पेश नहीं की है न ही साथ लाया है। इस संबंध में प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह प्र0सा0-1 का अपने अभिसाक्ष्य में यह कहना है कि वादी ने साहूकारी विधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

31. इस संबंध में तर्कों में वादी के विद्वान अधिवक्ता ने वादी के पंजीकृत साहूकार होने से ब्याज की राशि वसूलने का अधिकारी होने का तर्क किया गया है जिसका प्रतिवादी अधिवक्ता ने खण्डन किया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश साहूकारी विधान 1934 की धारा-3 लगायत 7 के प्रावधान अवलोकनीय हैं। जिसके अनुसार—साहूकार द्वारा लेखों का रखा जाना एवं उसके विवरणों का ऋणी को दिया जाना— (1) प्रत्येक साहूकार—

(क) हर एक ऋणी को दिये गये किसी ऋण के समस्त संव्यवहारों का अलग से (ए) खाता नियमित रूप से रखेगा,

(ख) ऐसे ऋणी को प्रत्येक वर्ष में खाते का स्पष्ट विवरण स्वयं द्वारा या उसके (बी) अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित देगा, जिसमें ऐसे ऋणी के विरुद्ध निकल रहे बकाया या ऐसे दिनांक को जो राशि बकाया रही हो तथा ऐसे क्षेत्रों में जो कि विहित किये जावें, देगा। ऐसे खाते के विवरण में ऋण से संबंधित समस्त संव्यवहार जो कि वर्ष के दौरान जिसका कि वह विवरण हो, उस जिले की न्यायालयीन भाषा में, जिसमें ऋणी का अधिवास हो तथा ऐसे तरीके से, ऐसे व्यौरों के साथ तथा ऐसे दिनांक को जोकि विहित किया जावे, दिये जावेंगे।

(ग) किसी ऋणी को खण्ड (बी) के अधीन दिये गये प्रत्येक लेखा-विवरण की एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार को देगा।

32. उक्त अधिनियम की धारा-4 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा-3 के पालन न करने के संबंध में प्रतिवादी प्रारंभिक स्तर पर वादोत्तर में आपत्ति ले सकता है और उसे प्रारंभिक स्तर पर ही आपत्ति लेनी चाहिए किन्तु न्याय दृष्टांत **श्रीकृष्ण विरुद्ध महादेव 1959 जे0एल0जे0 135** में यह भी मार्गदर्शित किया गया है कि यदि प्रतिवादी ने आपत्ति न भी ली हो तो न्यायालय को स्वयं भी यह देखना चाहिए कि धारा-3 के प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं। उक्त अधिनियम की धारा-3 के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है अथवा नहीं। उक्त अधिनियम की धारा-3 के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि साहूकार के द्वारा इस

धारा के प्रावधानों का पालन न किया जाये तो उस स्थिति में वह वाद प्रस्तुति दिनांक तक की अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। जैसा कि **नथनसिंह विरूद्ध नारायणसिंह 1962 जे०एल०जे० एस०एन० 355** में मार्गदर्शित है। **लक्ष्मीनारायण विरूद्ध भंवरलाल 1985 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-355** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि साहूकारी अधिनियम की धारा-3 (1) (क) एवं धारा 2 व 7 (क) के प्रावधानों का पालन न किये जाने की दशा में न्यायालय संपूर्ण ब्याज एवं खर्चों को अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में विवेक का उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए। न्याय दृष्टांत **जयसुख लाल देव विरूद्ध मै० शंकर थियेटर्स एवं अन्य 1982 एम०पी०एल०जे० 86** में यह बतलाया गया है कि जहाँ पर साहूकार के हित में promissory note का निष्पादन किया गया हो, या साहूकार ने धारा-3 के अंतर्गत बनाये गये प्रावधानों का पालन न किया हो तो वह कोई ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। केवल डिक्री दिनांक से वसूली तक छः प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। हस्तगत मामले में वादी ने उक्त साहूकारी अधिनियम की धारा-3 का पालन नहीं किया है क्योंकि न तो उसने प्रतिवादी के समव्यवहार का कोई खाता संचालित किया न ही वार्षिक विवरणी प्रतिवादी को व पंजीयक को खर्च की गणना करते हुए प्रेषित की है। ऐसी दशा में जो खर्च प्रतिवादी ने प्र०पी०-3 अनुसार चाहा है वह उसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन डिक्री दिनांक से पूर्ण अदायगी तक उधार राशि 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) पर छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-3 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत कर निष्कर्षित किया जाता है कि वादी प्रतिवादी से डिक्री दिनांक से अदायगी तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

:: वाद प्रश्न क्रमांक-2 व 4 ::

33. उपरोक्त दोनों वाद प्रश्न सहायता संबंधी हैं अतः उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एक साथ किया जा रहा है।

34. उपरोक्त वर्णित विश्लेषण मुताबिक प्र०पी०-3 का समव्यवहार प्रमाणित होता है। प्रतिवादी द्वारा दावा पूर्व वादी द्वारा दिये गये मांग सूचना पत्र प्र०पी०-1 के पश्चात भी कोई धनराशि अदा नहीं की गई है इसलिये वादी प्रतिवादी से मूलधन 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) एवं उस पर डिक्री दिनांक से पूर्ण अदायगी तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज ही पाने का पात्र है। चूंकि प्रतिवादी ने समव्यवहार से ही इन्कार किया है जबकि समव्यवहार प्रमाणित होता है। इसलिये प्रतिवादी वादी का प्रकरण व्यय भी वहन करने योग्य है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-2 एवं 4 भी वादी के पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णीत किये जाते हैं और वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की धन वसूली की आज्ञा प्रदत्त की जाती है कि:-

अ- प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह वादी अनिलकुमार पहाड़िया को प्र०पी०-3 के तहत प्राप्त मूलधन 324500/-रुपये (तीन लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) एवं उस पर डिक्री दिनांक से पूर्ण अदायगी तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज वसूलने का अधिकारी है जो प्रतिवादी दो माह के भीतर भुगतान कर रसीद प्राप्त करे। अन्यथा वादी वैधानिक कार्यवाही कर

उक्त राशि मय ब्याज वसूलने का अधिकारी होगा।

ब- प्रतिवादी अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ वादी का प्रकरण व्यय भी वहन करेगा। जिस पर अभिभाषक शुल्क सारिणी मुताबिक जोड़ा जावे।

तदनुसार धन वसूली की आज्ञाप्ति तैयार हो।

दिनांक – **12.05.2015**

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)